



**प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 14.09.2021**



### प्रेस नोट

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा चैन स्नैचिंग की घटनाओ को कारित करने वाले एक हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सहित दो अभियुक्तो को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक मोटर साईकिल चोरी की ,एक चाकू नाजायज,एक तमंचा 315 बोर नाजायज मय एक जिन्दा कारतूस,02 चैन पीली धातु लूट की घटनाओ से सम्बन्धित,एक लाकेट पीली लूट की घटनाओ से सम्बन्धित बरामद ।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दि0 14.09.21 को चैकिंग के दौरान केन्द्रीय विद्यालय के सामने तिराहे के पास दो अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से लूट/चोरी से सम्बन्धित माल बरामद हुआ है ।

### नाम पता अभियुक्तगण

- (1) दीपक पुत्र सतीश नि0 विजेन्द्र का किराये का मकान रजापुर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष
- (2) मनीष उर्फ मंगल पुत्र जगपाल निवासी ग्राम रजापुर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष  
(हिस्ट्रीशीटर 127ए कविनगर)

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक

1. मु0अ0सं0 1519/21 धारा 392,411 भादवि थाना कविनगर
2. मु0अ0सं0 459/21 धारा 392,411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम
3. मु0अ0सं0 433/21 धारा 392,411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम
4. मु0अ0सं0 527/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन बापूधाम
5. मु0अ0सं0 716/21 धारा 379,411 भादवि थाना मसूरी

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त मनीष उर्फ मंगल(हिस्ट्रीशीटर)

1. मु0अ0सं0 17/19 धारा 392 भादवि थाना कविनगर
2. मु0अ0सं0 179/19 धारा 393 भादवि थाना कविनगर
3. मु0अ0सं0 202/19 धारा 380 भादवि थाना कविनगर
4. मु0अ0सं0 221/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर
5. मु0अ0सं0 226/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर
6. मु0अ0सं0 230/19 धारा 411,414 भादवि थाना कविनगर

7. मु0अ0सं0 426/21 धारा 506 भादवि थाना कविनगर
8. मु0अ0सं0 671/21 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कविनगर
9. मु0अ0सं0 1583/19 धारा 380 भादवि थाना कविनगर
10. मु0अ0सं0 1602/19 धारा 30 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर
11. मु0अ0सं0 2241/18 धारा 147,323,452 भादवि थाना कविनगर
12. मु0अ0सं0 1519/21 धारा 392 भादवि थाना कविनगर
13. मु0अ0सं0 459/21 धारा 392 भादवि थाना मधुबन बापूधाम
14. मु0अ0सं0 433/21 धारा 392 भादवि थाना मधुबन बापूधाम
15. मु0अ0सं0 528/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन बापूधाम
16. मु0अ0सं0 716/21 धारा 379,411 भादवि थाना मसूरी

### **बरामदगी**

1. एक अदद मोटर साईकिल नं0 UP14CZ8408 (बदला हुआ नम्बर)
2. एक अदद चाकू नाजायज
3. एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज मय एक जिन्दा कारतूस
4. एक अदद चैन पीली धातु सम्बंधित मु0अ0सं0 1519/21 धारा 392 भादवि थाना कविनगर
5. एक अदद चैन पीली धातु सम्बंधित मु0अ0सं0 459/21 धारा 392 भादवि थाना मधुबन बापूधाम
6. एक अदद लाकेट पीली धातु सम्बंधित मु0अ0सं0 433/21 धारा 392 भादवि
7. 3500 रूपये नगद सम्बंधित मु0अ0सं0 433/21 धारा 392 भादवि



**थाना कविनगर पुलिस द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से चोरी की घटना से सम्बन्धित 20,000/- रुपये व दो चाकू नाजायज बरामद ।**

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा थाना कविनगर के मु0अ0सं0 1471/21 धारा 457/380/384/411 भादवि के अभियोग में वाञ्छित अभियुक्त गण (1) स्वयं उर्फ बैटरी पुत्र इन्द्रेश कुमार निवासी धर्मवीर त्यागी के मकान में किरायेदार गुलधर फाटक सै0-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम ,गाजियाबाद (2) कृष्णा उर्फ सुनील पुत्र रघुनीराम निवासी गुलधर 1 गली न0 2 जाग्रति विहार थाना मधुबन बापूधाम , गाजियाबाद को दिनांक 13.09.2021 को एएलटी फ्लाईओवर थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0सं0 1471/21 धारा 457/380/384/411 भादवि से सम्बन्धित 20 हजार रुपये व 2 नाजायज चाकू बरामद हुए। अभियुक्तगण से बरामद नाजायज चाकुओं के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर क्रमशः मु0अ0सं0 1545/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 1546/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

**अपराध कारित करने का तरीका:-**

अभियुक्तगण शातिर चोर हैं जिन्होंने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर चाकू के बल पर 30/31 अगस्त की रात्रि में सै0 9 राजनगर में घर में घुसकर जेवरात व नगदी चोरी की घटना को अन्जाम दिया व इससे 2 दिन पूर्व जे ब्लाक सै0 23 संजय नगर थाना मधुबन बापूधाम में घर में चोरी की घटना की थी।

## नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

(1) स्वयं उर्फ बैटरी पुत्र इन्द्रेश कुमार निवासी धर्मवीर त्यागी के मकान मे किरायेदार गुलधर फाटक सै0-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

(2) कृष्णा उर्फ सुनील पुत्र रघुनीराम निवासी गुलधर 1 गली न0 2 जाग्रति विहार थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

## आपराधिक इतिहास अभियुक्त स्वयं उर्फ बैटरी

- 1- मु0अ0सं0 1471/21 धारा 457/380/384/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 511/21 धारा 457/380 भादवि थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद।
- 3- मु0अ0सं0 1545/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

## आपराधिक इतिहास अभियुक्त कृष्णा उर्फ सुनील

- 4- मु0अ0सं0 1471/21 धारा 457/380/384/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 5- मु0अ0सं0 511/21 धारा 457/380 भादवि थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद।
- 6- मु0अ0सं0 1546/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



चोरी की बैटरी सहित एक अभियुक्त को थाना भोजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा बैटरी चोरी के अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त संजय पुत्र रोहताश निवासी ग्राम सुखनगढी कलछीना थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद को चोरी किये गये एक बैटरी के साथ दि० 14.09.21 को गिरफ्तार किया गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

संजय पुत्र रोहताश निवासी ग्राम सुखनगढी कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद

### आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 492/21 धारा 379,411 भादवि. थाना भोजपुर, गा०बाद

### बरामदगी का विवरण:

एक बैटरी ( सुकई कम्पनी का )



थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनांक 11.09.21 को ग्राम नाहल निवासी अनीस की हत्या के अभियोग का अनावरण करते हुए , वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

दिनांक:- 14/09/2021

**कार्यवाही-** श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में दि० 14.09.21 को प्रभारी निरीक्षक मसूरी श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह व उनकी टीम द्वारा हत्या के अभियोग का अनावरण करते हुए एक नफर अभियुक्ता दिलशादी उर्फ गुड्डी को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 11.09.21 को ग्राम नाहल निवासी अनीस पुत्र श्री सईद अहमद उम्र-45 वर्ष का शव ग्राम नाहल-ढबारसी जंगल बम्बे किनारे मिला जिसमे पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

। मृतक के परिजनो ने मृतक के साढ़ू राहत व अन्य के विरुद्ध मु0अ0स0-852/21 धारा 302 भादवि बनाम राहत आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया। थाना मसूरी पुलिस द्वारा दौराने विवेचना प्राप्त साक्ष्यो के आधार पर घटना का अनावरण करते हुए षडयन्त्र मे शामिल मृतक अनीस की पत्नि दिलशादी उर्फ गुड्डी को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे धारा 120 बी भादवि की वृद्धि की गयी।

### घटनाक्रम/घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.09.21 को ग्राम नाहल निवासी अनीस पुत्र श्री सईद अहमद उम्र-45 वर्ष का शव ग्राम नाहल-ढबारसी जंगल बम्बे किनारे मिला जिसमे पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जिसमे मृतक के सिर मे चोट के कारण मृत्यु होना पाया गया। मृतक के परिजनो व मृतक की पत्नि से पूछताछ मे मृतक की पत्नि ने बताया कि दिनांक 10.09.21 को वह दवाई लेने के लिए गये थे और लौटकर नहीं आये। मृतक के आने - जाने वाले सीसीटीवी फुटेज देखे गये। अनीस, ग्राम नाहल से जिस टैम्पो मे बैठकर गया उस टैम्पो चालक से बात की गयी तो टैम्पो चालक ने बताया कि वह हापुड जाने की बात कह रहे थे। इसी बीच मृतक के फूफा जान मौहम्मद ने डर के कारण फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योकि गाँव के लोगो मे चर्चा थी कि मृतक की पत्नि से मृतक के फूफा जान मौहम्मद के अवैध सम्बन्ध है और मृतक अनीस की हत्या मे कही ना कही जान मौहम्मद की भी भूमिका है। पुलिस को जानकारी हुई कि जिस स्थान पर शव मिला था वह स्थान ग्राम नाहल के दोनो मुख्य मार्गो से 1.5 से 2 कि०मी० दूर एवं ग्राम ढबारसी से भी 02 कि०मी० दूर पैदल मार्ग पर है जिस पर काफी पानी भी भरा हुआ है। सर्व प्रथम मृतक के फूफा जान मौहम्मद ने अन्य किसी भी स्थान पर मृतक को तलाश न करके उसी स्थान पर परिजनो को लेकर गया जहाँ मृतक का शव मिला। लोगो को तभी सन्देह हो गया था, गहनता से जाँच करने पर पाया कि मृतक की पत्नि और फूफा जान मौहम्मद के बीच कई सौ बार फोन पर बातचीत हुई। इन सभी तथ्यो के साथ महिला आरक्षी द्वारा मृतक की पत्नि से पूछताछ की गयी, पूछताछ मे मृतक की पत्नि दिलशादी उर्फ गुड्डी ने बताया कि " मेरे जान मौहम्मद के साथ सम्बन्ध थे। मेरे पति कुछ खास कमाते नहीं थे। घर व मेरा अधिकतर खर्च जान मौहम्मद ही चलाते थे। जान मौहम्मद ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा पूरा ख्याल मैं रखूँगा और खर्चा भी दूँगा। तुम इसे (अनीस को) रास्ते से

हटवा दो। और तुम्हारे पति के हिस्से मे आ रही 09 बीघा जमीन को बेचकर हापुड मे कही साथ रहेंगे। और इसके लिए हम दोनो ने लगभग एक सप्ताह पहले अपने घर पर ही प्लान बनाया था कि अगर हम इसकी घर पर ही हत्या करेंगे तो लोगो को पता चल जायेगा। तुम किसी बहाने से उसे हापुड भेज देना, और इसी प्लान के तहत यह भी निश्चित किया था कि मेरी बहन ने फाँसी लगाकर जो आत्महत्या की थी उसमे उसके पति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तुम पहले ही यह चर्चा फैला देना कि मुझे राहत मिला था जिसने पैरवी करने पर मुझे विधवा करने की धमकी दी थी। दिनांक 09.09.21 को जान मौहम्मद ने मुझसे बात की और कहा कि यहाँ नीव खुदाई का 15 हजार का काम है तुम उसे हापुड भेज दो। मैंने प्लान के अनुसार उनको (अनीस को) जान मौहम्मद के पास हापुड भेज दिया। बाद मे जान मौहम्मद ने अनीस की हत्या करने के बाद मुझे फोन से बताया कि अब मैंने उसको मार दिया है अब तुम गाँव मे यह अफवाह फैला दो कि वह काफी देर पहले दवाई लेने गये थे अभी तक वापस नहीं आये। शव मिलने पर इसी प्लान के तहत अपनी बहन के पति राहत और उसके देवर के खिलाफ

झूठा हत्या का मुकदमा लिखवा दिया था। " चूँकि अभियुक्त जान मौहम्मद द्वारा आत्महत्या कर ली गयी है। मृतक की हत्या की घटना मे अन्य और कोई भी संलिप्त है अथवा नही इस सम्बन्ध मे गहनता से जाँच की जा रही है। अभियुक्त से पूछताछ/साक्ष्यो के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –**

(1) दिलशादी उर्फ गुड्डी पत्नि अनीस निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गा0बाद

**पंजीकृत अभियोग-**

(1) मु0अ0स0-852/21 धारा 302 /120बी भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद।



**थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा चैकिंग अभियान के दौरान 01 अभि0 अल्प्राजोलम सहित किया गिरफ्तार**

प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री मिथलेश उपाध्याय के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट द्वारा दि0 14/09/21 को अभि0 रिंकू पुत्र सुन्दर निवासी मकान न0-एफ.एफ 230 ऊदलनगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद को 450 गोलिया ALPRAJOLAM TABLETS IP 0.5 MG सहित टायर मार्किट वाली गली के

पास पटेलनगर सडक सरे राह से समय 11.45 बजे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की ।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

रिंकू पुत्र सुन्दर निवासी मकान न0- एफ.एफ 230 ऊदलनगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

**पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

मु0अ0स0 - 1142/2021 धारा 8/21 NDPS ACT थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

**बरामदगी-**

450 गोलिया ALPRAJOLAM TABLETS



**थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 246 ग्राम एल्प्राजोलम पाऊंडर व दो अदद चाकू के साथ दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना विजय नगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर की पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 14.09.2021 को चैकिंग के

दौरान दो शातिर अपराधी चमन व मोहित को 246 ग्राम एल्प्राजोलम पाऊडर व दो अदद चाकू के साथ आर्मी ग्राउण्ड के पास, थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

**\*नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त\***

- 1- चमन पुत्र रोहताश नि० चाँदमारी झुग्गी झोपड़ी थाना विजयनगर गाजियाबाद
- 2- मोहित पुत्र संतोष नि० लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना विजयनगर गाजियाबाद

**\*पंजीकृत अभियोगों का विवरण\***

- 1- मु.अ.स. 1246/21 धारा 8/22 NDPS Act थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम चमन
- 2- मु.अ.सं. 1247/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर, गाजियाबाद बनाम चमन
- 3- मु.अ.स. 1248/21 धारा 8/22 NDPS Act थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम मोहित
- 4- मु.अ.सं. 1249/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर, गाजियाबाद बनाम मोहित

**\*बरामदगी का विवरण\***

1. 246 नशीला एल्प्राजोलम पाऊडर
2. दो अदद चाकू नाजायज

**\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम\***

- 1-SHO श्री महावीर सिंह
- 2-उ०नि० श्री पारस मलिक
- 3-उ०नि० श्री विपिन कुमार
- 3-है.कां० 698 सिन्टू कुमार
- 4.कां० 1780 सोनू चौधरी